19

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक एफ.15 (ग)/PD/DLB/DAY-NULM/SUSV/16/29589 दिनांकः 01-02-18

आदेश

"पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014" (केन्द्रीय अधिनियम 2014 का संख्याक 7) की धारा 8 व "राजस्थान पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017", द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खण्ड 10 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं पर अधिरोपित किया जाने वाला मासिक शुल्क तथा खण्ड 20 के अन्तर्गत पथ विक्रेताओं की जब्त की गई वस्तुओं को लौटाने पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

i. **मासिक पथ विक्रय शुल्क** (न्यूनतम से अधिकतम) रूपये में–

पथ विक्रेताओं की श्रेणी	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी)	नगर पालिका (तृतीय श्रेणी)	नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी)
थड़ी	300–1200	300–1000	300–800	300–600	300–600
स्थाई (जमीन पर/ठेला)	300–1000	200–800	200–700	100–500	100–500
घुमन्तू	200–500	200–500	100–300	100–300	100–300
साप्ताहिक बाजार	300–800	300–800	200–600	100–400	100–400
विशेष बाजार (त्योहार/मौसमी इत्यादि) प्रति त्योहार/ मौसम	500–1500	300–1000	300–1000	300–1000	300–1000

ii. शास्ति (Penalty)- वेण्डिग जोन के अतिरिक्त पथ विक्रय करने पर जब्त की गई वस्तुओं को वापस करने पर न्यूनतम शास्ति 1000/– रूपये तथा अधिकतम 2000/– रूपये निर्धारित की जाती है।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित नगर निकाय की पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) द्वारा नगर निकाय क्षेत्र में स्थान/जोन्स/भू–भाग तथा पथ विक्रेताओं की श्रेणी के आधार पर पथ विक्रय शुल्क तथा शास्ति (Penalty) का निर्धारण किया जाएगा।

शुल्क तथा शास्ति निर्धारण की सूचना सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन/सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर इत्यादि के माध्यम से दी जाएगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.15 (ग)/PD/DLB/DAY-NULM/SUSV/16/29590-30198 दिनांक: 01.02.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. महापौर/सभापति/चेयरमैन, नगर निकाय समस्त राजस्थान।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय समस्त राजस्थान।
7. पथ विक्रय समिति, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
8. आई.टी. सेल को भेजकर लेख है कि आदेश पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

(एस. आर. मीणा)
परियोजना निदेशक